Annexure - LX

सत्यमेव जयते

उत्तराचंल सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–10, डिफैन्स कालोनी, देहरादून
फोन : (0135) 2666778 / 2666779

संख्या – 2691 / 73बी / उ.सू.आ. / 2007 दिनांक : 5 जून, 2007

1. निदेशक,
   नागरिक उड्डयन निदेशालय,
   जौली ग्रान्ट, देहरादून।
2. निदेशक,
   सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय
   चंदेल भवन, अजबपुर कलां, अंजलि विहार, देहरादून।
3. निदेशालय,
   कर्मचारी राज्य बीमा योजना,
   श्रम चिकित्सा सेवायें, प्रेमनगर,
4. निदेशक,
   उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क्ररण विभाग, चौबटिया, रानीखेत।
5. निदेशक,
   पुनर्वास निदेशालय, टिहरी बांध परियोजना,
   नई टिहरी।
6. महानिरीक्षक,
   कारागार, रेसकोर्स, देहरादून।
7. निदेशक,
   खेल निदशालय उत्तराखण्ड,
   स्पोर्टस कॉलेज, देहरादून।

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(ख) का अनुपालन न करने के संबंध में।

उपरोक्त विषयक पर सूचना का अधिकार का अधिनियम 2005 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी स्तर से अपने संगठन के संबंध में अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अंतर्गत 12 अक्टूबर, 2005 तक स्व–प्रकटन हेतु 16 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार हो जाने चाहिये थे।

2. प्रश्नगत विषय के परिप्रेक्ष्य में आयोग स्तर पर 2 अप्रैल से 04 अप्रैल, 2007 तक सम्बन्धित लोक प्राधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गयी थी, समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त आयोग ने अपने पत्रांक 1705 / उ.सू.आ. दिनांक 10.4.2007 को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्गत किया था। निर्देश दिये गये थे कि 15.4.2007 से पूर्व आयोग के समक्ष 16 बिन्दुओं पर मैनुअल तैयार कर अनुमोदित करा लें।

3. उपरोक्त निदेशालय स्तर के लोक प्राधिकारियों द्वारा अभी तक मैनुअल आयोग स्तर पर प्रस्तुत नहीं किये हैं। आयोग अपेक्षा करता है कि दिनांक 15.6.2007 से पूर्व मैनुअल पूर्ण कर प्रत्येक दशा में आयोग से अनुमोदित करा लें।

(तारकेन्द्र वैष्णव)
सचिव